

प्रपत्र -3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक / व. म. अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

क्र.स.	जानकारी	विवरण
1.	परियोजना का नाम	Diversion of Revenue Forest for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur- Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh. Pkg.-I(Km 0.000 to Km. 53+300)
2.	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	सड़क चौड़ीकरण परियोजना
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला : बिलासपुर वन मंडल : बिलासपुर परियोजना स्थल : NN-111 (New NH-130), पेड्रीडीह से पथरापली
5.	वन भूमि का विस्तृत विवरण	
	क. आरक्षित वन ख. सीमांकित संरक्षित वन ग. असीमांकित संरक्षित वन घ. राजस्व वन क्षेत्र	निरक्ष // // 24.585 है. विस्तृत विवरण संगलन है।
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल / सागौन / मिश्रित साईट क्वालिटी - I/II/III/IVA/IVB/V घनत्व- 0.3 / >0.3 से 0.6 तक / >0.6
7.	आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों का विवरण	वृक्षों का विवरण संगलन है।
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरक्ष
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्या मार्ग से (पी. डब्लू. डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	मानचित्र संगलन है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बोडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के ५ वर्ग. कि. मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हाँ, तोह संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें	नहीं है

वन मण्डल अधिकारी,
वनमंडल, बिलासपुर (छ. ग.)

	।	
11.	आवेदित वन क्षेत्र के आलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के २० वर्ग कि. मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरिक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	निरिक्षण
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हाँ, तोह संक्षिप्त विवरण दें।	कोई निग्रम उल्लंघन नहीं किया गया है

प्रमाण -पत्र

उपरोक्त जानकारी/ विवरण मेरे द्वारा किये गए भौतिक निरिक्षण के आधार पर पर है। आवेदक द्वारा मांग कि गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुसंशा की जाती है / नहीं की जाती है।

निरिक्षण स्थल - लकरी, बिलतारा, रतनपुर

दिनांक -

वन बण्डलाधिकारी,
वनबण्डल, बिलासपुर (छ. ग.)

वन संरक्षक / व. म. अ. के हस्ताक्षर

बिलासपुर वन मंडल

मय सील